राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1732/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुरेश कुमार अरोडा 109] प्रगति नगर] कोटडा, Ajmer,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक राज. राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10/04/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भौरी लाल मीणा, सहायक महाप्रबन्धक, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12-7-17 के द्वारा दैनिक नवज्योति, अजमेर अंक में प्रकाशित समाचार 'जांच 90 दिन में जांच पूरी करनी होगी' के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 13-9-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में पत्र दिनांक 3-10-17 से निःशुल्क सूचना का प्रेषण किया जा चुका है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 6-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध पत्रादि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कयास पर आधारित है। प्रत्यर्थी ने अपेक्षा की है कि यदि निलम्बित किया हुआ कर्मी विभागीय जांच में दोषमुक्त हो जाता है तो निगम को आर्थिक हानि होती है एवं निगम का कामकाज भी प्रभावित होता है ऐसी स्थिति में निलम्बित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि की वांछना की गई थी। स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसे आदेश की वांछना की गई है जो कि विभाग द्वारा जारी किया ही नहीं जा सकता। इस तरह

की वांछना अपीलार्थी के कयास पर आधारित है। प्रत्यर्थी ने पत्र दिनांक 3-10-17 के द्वारा जांच के सम्बन्ध में जारी अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 21-5-13 एवं दिनांक 27-1-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवा दी है।

8. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में विशिष्टियों का अभाव है एवं चाही गई सूचना में अपनी राय अंकित कर कार्यवाही की वांछना की है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत न तो सूचना की परिभाषा में आती है एवं न ही धारा 2(जे) के तहत सूचना का अधिकार की परिभाषा में आती है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त